'' विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में दी जाने वाली सुविधाएं ''

एक अध्ययन

शोधार्थी
अंतिमबाला पाण्ड्ेय

सारांश –

एक विशिष्ठ बालक वह है जो कि शारीरिक मानसिक,संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक के उस सीमा तक विचलित होता है जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकस हेतु निर्देशन सहायता, विद्यालयीन कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विर्शिष्ठ शैक्षिक सेवाओं की आवश्वकता रखता है। जब इन बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पायी जाती है तो उन्हें विशिष्ठ बालकों की श्रेणी में रखा जाता है तब ये बालक सामान्य शिक्षण पद्धतियों एवं शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पाते अतः इनके लिए विशेष शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों एवं शिक्षकों की आवश्यकता होती है यदि इनकी ओर ध्यान न दिया जाए तो ये समस्यात्मक बालक बन जाते है और वे परिवार एवं समाज को हानि पहुचाते है इसलिये विशिष्ठ बालकों के लिए विशिष्ठ शिक्षा की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है।

विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा –

जब बालकों में वैयक्तिक भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती है उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखना आवश्यक हो जाता है तब ये बालक सामान्य शिक्षण पद्धतियों एवं शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं एक प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में जहां प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं व क्षमताओं का अधिकतम विकास मानवीय अधिकार माना जाता है ।

समग्र शिक्षा पोर्टल की विशेषता

- सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी एक ही पटल पर उपलब्ध ।
- छात्र को अपनी प्रोफाईल के अनुसार छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता एवं राशि की गणना हेतु छात्रवृत्ति संगाक उपलब्ध।
- सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये एकल सरलीकृत आवेदन पत्र।
- प्रत्येक छा–छात्रा का जाति प्रमाण पत्र एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की जानकारी एक बार पंजीकृत कर संबंधित अधिकारी सेऑनलाईन सत्यापन कराकर हमेशा के लिये उपलब्ध ।
- छात्र को बारबार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्ति।
- छात्रवृत्ति आवेदन के पंजीयन तथा उनके स्वीकृति हेतु ऑनलाईन प्रणाली।छात्र को पात्रता अनुसार सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की एकही बार मे एक अधिकारी द्वारा स्वीकृति एवं राशि का भुगतान सीधे छात्र–छात्रा के बचत खाते में।
- छात्र को अपनी छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा।
- सिस्टम द्वारा छात्र की पात्रतानुसार योजना एवं राशि की गणना एवं स्वीकृति। कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं। त्रुटि की संभावना नगण्य।
- सिस्टम द्वारा योजनवार,शीर्षवार,मदवार, बिल तैयार किये जाते है।
- एससी/एसटी/विकलांग एवं श्रमिक संवर्ग से संबंधित छात्रों की सूची उपलब्ध जो कि प्रोफाईल के अनुसार छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र है किंतु उनके आवेदन पत्र पोर्टल पर दर्ज नहीं हुए है। संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त सूची का उपयोग कर ऐसे छात्रों से समन्वय कर योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जा सकता है।
- जिला/ब्लाक/गांव/वार्डवार बच्चों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध।
- स्कूल/कक्षावार पंजीकृत छात्र–छात्राओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध।
- निःशक्तता/जातिवार छात्र–छात्राओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध ।
- योजना/जातिवार छात्र–छात्राओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध।
- योजना एवं विभागवार छात्रवृत्ति की जानकारी जिलेवार उपलब्ध।
- छात्रवृत्ति की स्वीकृति की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध।

छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं

शिक्षा में दी जाने वाली सुविधाऐ

निःशक्त छात्रवृति –

पहली कक्षा से स्नातकोत्तर एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को नियमानुसार राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति की दर – प्राथमिक शिक्षा स्तर –

अ– बालक –रूपये 25/– प्रतिमाह ब– बालिका– 35/– प्रतिमाह

माध्यमिक शिक्षा स्तर–

बालक रूपये 30 प्रतिमाह बालिका–40/– प्रतिमाह

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर– (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग)

अ–बालक (दैनिक)रू. 110/–प्रतिमाह ब–बालक (दैनिक) रू. 500/–प्रतिमाह

स–बालिका (दैनिक) रू.120/–प्रतिमाह द–बालिका (छात्रावासी)रू.500 प्रतिमाह

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर– अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये)

अ–बालक (दैनिक) रू. 60/–प्रतिमाह ब–बालक (छात्रावासी)रू. 50/–प्रतिमाह

स–बालिका (दैनिक) रू.60/–प्रतिमाह द–बालिका (छात्रावासी)रू.60/–प्रतिमाह

स्नातक शिक्षा स्तर (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग)

अ– बालक/बालिका (दैनिक) – रू. 250/– प्रतिमाह

ब– बालक/बालिका (छात्रावासी) रूपये 500/– प्रतिमाह

स्नातक शिक्षा स्तर– (अनूसूचित जाति/जनजाति)

अ– बालक/बालिका (दैनिक) – रू. 65/– प्रतिमाह

ब– बालक/बालिका (छात्रावासी) रूपये 60/– प्रतिमाह

स्नातक शिक्षा स्तर (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग)

अ– बालक/बालिका (दैनिक) – रू. 300/– प्रतिमाह

ब– बालक/बालिका (छात्रावासी) रूपये 525/– प्रतिमाह

स्नातक शिक्षा स्तर– (अनूसूचित जाति/जनजाति)

अ– बालक/बालिका (दैनिक) – रू. 60/– प्रतिमाह

ब– बालक/बालिका (छात्रावासी) रूपये 50/– प्रतिमाह

टीप– 1– तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में डिप्लोमा/पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत निःशक्त बालक/बालिकाओं को स्नातक स्तर की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।

अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त रूप से उपरोक्त दशाये अनुसार निःशक्त छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भी प्रदाय की जावेगी।

2– सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालि छात्रवृत्ति के तहत पालक/अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा अधिकतम रूपये 24000/– निर्धारित थी जिसे बढ़ाकर अधिकतम रूपये 96000/– वार्षिक निर्धारित किया गया है।

3– कक्षा 8 वी में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं उच्चतर माध्यमिक स्तर (9 वी) में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर एकमुश्त रूपये 2500/– (रूपये दो हजार पांच सौ) प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक (12 वी) की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीण करने वाले निःशक्त छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में एकमुश्त रूपये 3000/–(रूपये तीन

हजार मात्र) प्रदान किया जावेगा। उक्त प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत की जावेगी।

4— कक्षा 9 वी से 12 वी तक निःशक्त छात्र/छात्राओं को जो 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त है उसको निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है —

पुस्तक, स्टेशनरी, परिवहन भत्ता, गणवेश हेतु रूपये 1550/— प्रति छात्र/छात्रा को 10 माह हेतु।

निःशक्त छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति रूपये 200/— प्रतिमाह 10 मान के मान से रूपये 2000/—

वाचक भत्ता रूपये 75/— प्रतिमाह कुल 10 माह के मान से राशि रूपये 750/— केवल दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के लिए।

मार्गक्षण भत्ता केवल कमर के नीचे से अत्याधिक निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए 75/— प्रतिमाह के मान से 10 माह की राशि रूपये 750/—

5— दष्टिबाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं को योजना के तहत स्नातक/स्नातकोत्तर/तकनीकी पाठ्क्रमों में अध्ययन हेतु क्रमशः रू 100/125/150 वाचक भत्ते के रूप में प्रदान किया जावेगा। उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत की जावेगी।

ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आवेदन अपनी निःशक्तता दर्शाते हुए फोटोग्राफ के साथ निःशक्ता आय और निवास प्रमाण पत्र सहित शैक्षणिक संस्था के प्रमुख के माध्यम से शहरी क्षेत्र में आवेदन पत्र जिले के संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय को तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रेषित करते हैं।

अध्ययनरत 6—14 वर्ष समूह के निःशक्त बालक/बालिकाओं को रूपयें 150/— मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी प्रदाय की जाती है।

अनुशंसाएं –

1–बालकों के माता–पिता को आवश्यक जानकारी समय–समय पर मिलती रहे।

2–जो सुविधाएं दी जा रही है उनके अलावा भी कई नये साधन है जो उपलब्ध कराएं जाए ।

3–ध्यान योग की कक्षा भी लगाई जाए।

4–परिवार व समाज उन्हें आपस में चर्चा करने की समस्या का हल कर सके।

5– हमारा उद्देष्य उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हो।

ए

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1– अग्रवाल,जी (1981) विकलांगता समस्या और समाधान दिल्लीः निधि प्रकाशन

2– बिष्ट आभारानी (1990) विशिष्ट बालक, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर

3– भार्गव, महेश (2003) विशिष्ट बालक आगरा : एच पी भार्गव बुक हाउस

4– कोशिक जी (1977) विकलांग शिक्षा, जयपुर : हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

5– शुक्ला, नीरज (1997) श्रवण विकारयुक्त बच्चों की भाषा विकास : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ।

6– बीएनबी मेड इजी पब्लीकेशन (2011) मारवाणी रोड भोपाल